

राजस्थान उच्च न्यायालय**जोधपुर**

एस.बी.सिविल विविध अपील सं. 2652/2018

कर्णावत मार्बल्स, राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 8, पीपरदा जरिये गुणसागर कर्णावत पुत्र श्री देवेन्द्र कर्णावत, आयु 75 वर्ष, निवासी किशोर नगर, तहसील और जिला राजसमंद।

----अपीलार्थी

बनाम

सोहन सिंह पुत्र श्री हिम्मत सिंह, जाति चौहान राजपूत, निवासी प्रेमपुरा, तहसील और जिला राजसमंद।

----प्रत्युत्तरदाता

अपीलकर्ता(ओं) के लिए : श्री एस.डी. पुरोहित
श्री आर.एस. माली।
प्रत्युत्तरदाता(ओं) के लिए : श्री निखिल अजमेरा।

माननीय न्यायाधिपति श्रीमान् अरुण मोंगा**आदेश (मौखिक)****02/05/2025**

1. यह अपील अपीलार्थी द्वारा, अन्य बातों के साथ-साथ, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, राजसमंद के विद्वान आयुक्त द्वारा डब्ल्यूसी प्रकरण संख्या 131/2015 (44/2012) में पारित निर्णय/पंचाट दिनांक 20.07.2017 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है, जिसके तहत प्रत्युत्तरदाता के पक्ष में 1,43,070/- रुपए का पंचाट पारित किया गया था।

2. पहले संक्षिप्त तथ्य। प्रत्युत्तरदाता - सोहन सिंह ने कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 3 के अंतर्गत कर्मकार प्रतिकर आयुक्त, राजसमंद के समक्ष दिनांक 09.12.2011 को प्रतिकर के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। उसने दावा किया कि वह पिछले दो वर्षों से अपीलार्थी के प्रतिष्ठान में मशीन ऑपरेटर के रूप में काम कर रहा था, जेसीबी, डम्पर और लोडर जैसी मशीनों का संचालन कर रहा था, और 8,000/-रुपए मासिक वेतन प्राप्त कर रहा था।

2.1 उसके आवेदन के अनुसार, 16.06.2011 को काम करते समय, एक घूमते हुए पत्थर से उसके बाएँ हाथ पर लगने से उसे गंभीर चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप उसकी उंगलियाँ कट गईं। उसका इलाज आरंभ में शर्मा अस्पताल, कांकरोली और बाद में गीतांजलि अस्पताल, उदयपुर में हुआ। उसने आरोप लगाया कि चोट के कारण वह पूरी तरह से अशक्त हो गया और काम

करने में असमर्थ हो गया। उसने 13,50,000/-रुपए का प्रतिकर, नियोक्ता पर 50% शास्ति और दुर्घटना की तारीख से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की माँग की।

2.2 हालाँकि, अपीलार्थी ने सभी आरोपों से इनकार किया। उसने प्रत्युत्तरदाता के नियोजन के दावे का खंडन किया और कहा कि उसके प्रतिष्ठान में कोई जेसीबी, डम्पर या लोडर नहीं है। अपीलार्थी ने तर्क दिया कि प्रत्युत्तरदाता कभी वहाँ कार्यरत नहीं था और इसलिए किसी भी प्रतिकर या वेतन का हकदार नहीं है। उसने दलील दी कि सोहन सिंह बिना अनुमति के अपने एक परिचित नंद किशोर से मिलने आया था और अपनी ही उपेक्षा के कारण एक क्रेन से टकराकर घायल हो गया। मानवीय आधार पर, अपीलार्थी ने उसके उपचार की व्यवस्था की, लेकिन किसी भी नियोक्ता-कर्मचारी संबंध से इनकार किया। यह भी तर्क दिया गया कि प्रत्युत्तरदाता का नाम कर्मचारी राज्य बीमा रजिस्टर या प्रतिष्ठान की उपस्थिति रजिस्टर में दर्ज नहीं था।

2.3 कार्यवाहियों के दौरान, प्रत्युत्तरदाता ने स्वयं को और राम लाल नामक व्यक्ति को परिक्षित करवाया और अपने दावे के समर्थन में दस्तावेज़ प्रस्तुत किए। अपीलार्थी गुणसागर कर्णावट भी उपस्थित हुआ और प्रतिरक्षा में दस्तावेज़ी साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों को सुनने और अभिलेख पर की सामग्री का परीक्षण करने के पश्चात्, अधिकरण ने प्रत्युत्तरदाता की 30% निःशक्तता का निर्धारण करते हुए और उसकी आयु 42 वर्ष मानते हुए 1,43,070 रुपए का प्रतिकर देने का आदेश दिया। अतः यह अपील प्रस्तुत है।

3. विद्वान अधिकरण ने चार विवाद्यक विरचित किए, जिनका अनुवादित संस्करण नीचे प्रस्तुत है:-

“1. क्या प्रार्थी दिनांक 16.06.2011 को विपक्षी की मार्बल कंपनी में मशीन ऑपरेटर के रूप में नियोजित था और क्या ऐसे नियोजन के अनुक्रम में हुई किसी दुर्घटना के कारण उसके बाएं हाथ की अंगुलियों में गंभीर क्षति हुई थी?

प्रार्थी

2. क्या प्रार्थी को हुई क्षति का उसकी उपार्जन क्षमता पर कोई प्रभाव पड़ा है?

प्रार्थी

3. क्या दुर्घटना के समय प्रार्थी की आयु 42 वर्ष थी और उसका मासिक वेतन 8,000 रुपए था?

प्रार्थी

4. अनुतोष ?

4. अभिलेख पर की सामग्री का विश्लेषण करने के पश्चात्, विद्वान अधिकरण ने प्रार्थी सोहन लाल (प्रत्युत्तरदाता/दावेदार) के पक्ष में सभी विवाद्यकों का विनिश्चय किया।

5. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने, अन्य बातों के साथ-साथ, यह तर्क दिया कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 3 के अंतर्गत सफल होने के लिए, एक कर्मकार को यह साबित करना होगा कि क्षति नियोजन के अनुक्रम में थी। प्रत्युत्तरदाता ऐसा कोई संबंध स्थापित करने में विफल रहा। अपीलार्थी ने लगातार इस बात से इनकार किया कि उसने प्रत्युत्तरदाता कर्णावट मार्बल्स में नियोजित था और प्रत्युत्तरदाता अपने दावे के समर्थन में कोई भी दस्तावेज़ी प्रमाण—जैसे नियुक्ति पत्र या वेतन रसीदें—प्रस्तुत करने में विफल रहा। नियोजन की अवधि के बारे में उसके बयान विरोधाभासी थे, जिससे उसकी विश्वसनीयता और क्षीण हो गई।

5.1 उन्होंने तर्क दिया कि दूसरी ओर, अपीलार्थी ने उपस्थिति और वेतन रजिस्टर (प्रदर्श एम/1) प्रस्तुत किए, जिनमें प्रत्युत्तरदाता का नाम शामिल नहीं था। अधिकरण ने प्रत्युत्तरदाता की अविश्वसनीय मौखिक परिसाक्ष्य पर भरोसा करके त्रुटि की, जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 92 के विपरीत है।

5.2. राशि के संबंध में, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि यदि प्रतिकर न्यायोचित भी होता, तो भी अधिकरण ने उसकी गणना गलत की। प्रत्युत्तरदाता की निःशक्तता केवल 10% (प्रदर्श पी/28) प्रमाणित की गई थी, फिर भी अधिकरण ने इसे गलत तरीके से 30% निर्धारित किया। क्षति के दावे के समर्थन में कोई आयु प्रमाण या चिकित्सा विशेषज्ञ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया। इस प्रकार, अधिकरण का निर्णय उपधारणाओं पर आधारित था, यह शामिल करते हुए कि प्रत्युत्तरदाता ने संभवतः दैनिक मजदूर के रूप में काम किया होगा - एक ऐसा दावा जो प्रत्युत्तरदाता ने स्वयं कभी नहीं किया। इसलिए, इस पंचाट को अपास्त किया जाना चाहिए, उसने दलील दी।

6. उपर्युक्त पृष्ठभूमि में, मैंने विद्वान अधिवक्ताओं के प्रतिद्वंद्वी तर्कों को सुना है, जो कमोबेश अभिवचनों में दिए गए आधारों के अनुरूप ही हैं और मैंने मामले की पत्रावली का परिशीलन किया है। अब मैं इसके गुणावगुण पर विचार करते हुए आगे बढ़ूंगा और इसमें इसके पश्चात् अंतर्विष्ट चर्चा और तर्क के आधार पर अपनी राय प्रस्तुत करूंगा।

7. सर्वप्रथम, आक्षेपित निर्णय / पंचाट का परिशीलन करने से पता चलता है कि सोहन सिंह / दावेदार को 16 जून, 2011 को विपक्षी के प्रतिष्ठान में मशीन ऑपरेटर के रूप में काम करते समय क्षति हुई थी। एक ट्रॉली पर पत्थर लोड करते समय, एक पत्थर खिसक गया और उसके बाएं हाथ को कुचल दिया, परिणामस्वरूप तीन अंगुलियां कट गईं। उसके सहकर्मी उसे अस्पताल ले गए और उसकी सर्जरी और उपचार हुआ, जिसका खर्चा 50,000 रुपये आया। सोहन सिंह ने काम के दौरान नियोजन और क्षति के उसके दावे का समर्थन करते

हुए दस्तावेजी और गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए। अपीलार्थी ने यहाँ, यद्यपि लचर तरीके से, उसके नियोजन को इनकार किया, यह दावा करते हुए कि वह एक आगंतुक था जिसने बिना अनुमति के प्रवेश किया था। हालांकि, साक्ष्य जिसमें पुलिस रिपोर्ट, मेडिकल रिकॉर्ड, निःशक्तता प्रमाण पत्र और साक्षी के परिसाक्ष्य शामिल हैं, में प्रार्थी के वृत्तांत का समर्थन किया गया। अधिकरण द्वारा यह भी सही रूप से संज्ञान में लिया गया था कि दैनिक मजदूर अपीलार्थी/नियोक्ता के उपस्थिति अभिलेखों में प्रकट नहीं हो सकते हैं। प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर, अधिकरण ने निष्कर्ष निकाला कि दावेदार/पीड़ित एक कर्मचारी था और उसे नियोजन के अनुक्रम में क्षति हुई थी। चिकित्सीय साक्ष्य के आधार पर, परिणामस्वरूप हुई क्षति का निर्धारण उपार्जन क्षमता के 30% ह्रास के रूप में किया गया था। दुर्घटना के समय, सोहन सिंह की आयु 42 वर्ष थी और वे 4,030 रुपए माह (न्यूनतम मजदूरी मानकों के अनुसार) कमाता था। 30% ह्रास के लिए प्रतिकर की गणना 1,29,476 रुपए की गई थी, जिसके साथ चिकित्सीय व्यय 13,594 रुपए जुड़ा हुआ था और इस प्रकार कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम के तहत दिनांक 16.06.2011 से 12% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ कुल 1,43,070 रुपए की राशि का प्रतिकर था।

8. मैं विद्वान अधिकरण द्वारा निकाले गए निष्कर्षों से सहमत हूँ। साक्ष्यों के मूल्यांकन के आधार पर विद्वान अधिकरण द्वारा दिए गए तथ्यों के निष्कर्षों में कोई विकृति या अवैधता प्रतीत नहीं होती। अतः विद्वान अधिकरण द्वारा अभिलिखित किए गए तथ्यों के निष्कर्षों को बाधित करने के लिए किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

9. अधिकरण के निष्कर्ष दोनों मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य के मूल्यांकन के बाद निकाले गए हैं, और अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय के हस्तक्षेप को न्यायोचित ठहराने के लिए कोई तात्त्विक अनियमितता प्रदर्शित नहीं की गई है।

10. विद्वान अधिकरण ने प्रत्युत्तरदाता सोहन सिंह के घटनाक्रम को अधिक विश्वसनीय मानते हुए सही ही स्वीकार किया। दुर्घटना के बारे में उनका विवरण संगत है, गवाह रामलाल द्वारा इसकी पुष्टि की गई है और चिकित्सा एवं पुलिस रिकॉर्ड द्वारा समर्थित है। चिकित्सीय साक्ष्य (एमएलसी - प्रदर्श 1, एक्स-रे - प्रदर्श 8, निःशक्तता प्रमाण पत्र - प्रदर्श 28) चोटों के प्रकार और परिमाण की पुष्टि करते हैं, जबकि रोज़नामचा (पुलिस दैनिक डायरी) और संबंधित दस्तावेज़ (प्रदर्श 6 और 7) दर्शाते हैं कि रिपोर्ट तुरंत तैयार की गई थी और यह कि नियोजन और क्षति अपीलार्थी के परिसर में हुई थी। पंजीकृत नोटिस (प्रदर्श 2-4) पर किसी खंडन या प्रतिक्रिया का अभाव अपीलार्थी द्वारा नियोजन संबंध से विलंब से इनकार करने पर और भी संदेह पैदा करता है।

11. वेतन और उपस्थिति रजिस्टर में प्रत्युत्तरदाता का नाम शामिल न करने के संबंध में विद्वान अधिकरण का तर्क सही है। यह एक सामान्य औद्योगिक प्रथा है कि आकस्मिक या दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नाम अक्सर औपचारिक रोजगार अभिलेखों में दर्ज नहीं होता। अपीलार्थी का यह दावा कि ऐसे कोई कर्मचारी कार्यरत नहीं थे, एक निराधार प्रतिरक्षा है। इसके विपरीत, प्रार्थी की साक्ष्य, पुलिस रिपोर्ट के साथ मिलकर जो स्पष्ट रूप से दुर्घटना के स्थान को उसके कार्यस्थल के रूप में निर्दिष्ट करती है।

12. इस पृष्ठभूमि में, कर्मचारियों के प्रतिकर अधिनियम, 1923 की धारा 3 के अंतर्गत प्रतिकर के हकदारी हेतु आवश्यक तत्व- अर्थात्, नियोक्ता-कर्मचारी संबंध तथा नियोजन के अनुक्रम के दौरान क्षति होना, को साबित करने के लिए सही अभिनिर्धारित किया गया था। यह घटना कार्यस्थल पर, कार्य समय के दौरान हुई थी, और सह-कर्मि इसकी साक्षी थे। नियोक्ता की अपनी स्वीकारोक्ति कि उसने "मानवीय आधार पर" उपचार की व्यवस्था की थी, जिम्मेदारी की अप्रत्यक्ष अभिस्वीकृति को और अधिक इंगित करती है।

13. अधिकरण की उपार्जन क्षमता में 30% ह्रास का निर्धारण भी कानूनी तौर पर सही है। यहां तक कि चिकित्सीय प्रमाण-पत्र में 10% स्थायी शारीरिक निःशक्तता उल्लिखित है, फिर भी तीन अंगुलियों के कटने से कुछ प्रतिशत प्रकार्य निःशक्तता मानी जाती है - यहां, 30% के रूप में निर्धारण सही किया गया।

14. हस्तगत अपील वैधानिक दायित्व से बचने का एक प्रयास मात्र प्रतीत होता है तथा हस्तक्षेप का कोई वैध आधार प्रकट नहीं होता है। तदनुसार, अधिकरण के निष्कर्षों को बरकरार रखा जाता है। । परिणामस्वरूप, हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं है।

15. तदनुसार खारिज किया गया।

16. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निस्तारित किये जाते हैं।

(अरुण मोंगा),जे

1-धनंजयएस/आरमाथुर/-

क्या रिपोर्टिंग के लिए उपयुक्त है : हाँ / नहीं

अस्वीकरण: इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यावहारिक

उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेज़ी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।



अधिवक्ता अविनाश चौधरी